

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 1329 आवेदन सं० 5472 19 3-4-19
 शीक नं० Deshmukh Komar and others

मे मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाचित संजयवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसविषये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संजयवहारों और अवधारों के बारे में यहाँ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमिकियों में ता० 2006 to till date 19 After Indent
 उक्त तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संजयवहारों और अवधारों का पता चला...

चला है अतः

सम्पत्ति तलाशी अवधार से मुक्त है

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza — Mainpur Sharika							
	Thana No — 24							
	Sr. Plot No — 473							
	Khata No — 230							
	Tauzi No — 5124							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. प्रमाण-पत्र को दिनांक प्रभाव की तारीख और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यहाँ की इनके बारे में उल्लेख हो।
 3. पट्टे को दस्ता में पट्टे को अवधि और वार्षिक लागत दर्ज करें।
- यै वह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को जोड़ एक संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पत्र नहीं बनता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Shailendra*

(पदनाम): U.O.C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण को जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *[Signature]*

(पदनाम): U.O.C.

कार्यालय: *Danapur*

तारीख: 3-4-19.



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम को धारा-46 के अधीन जो व्यक्ति (वाहयों) और अनुक्रमावधियों (इन्डेन्स) को प्रवर्धनीय देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हैं जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फ़ैस का भुगतान करने पर बाहयों और अनुक्रमावधियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की कूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, निम्न निबंधक
नाम संख्या 1261
आवेदक श्री *Deshmukh Kumar*
दिनांक 5/4/19

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा
Central Bank of India (Dr. R. K. Kanhera)
का अवधार पत्र संख्या... के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,